UPJS010062792023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन–पी० एन० मिश्र, एच०जे०एस०

(JO Code No–UP06548)

सत्र वाद संख्या–१२४४/२०२३

सरकार बनाम रिंकू गेढ़ा उर्फ मनीष गुप्ता आदि

अ०सं०–३४४/२०१८
धारा–१४७, १४८, १४९, ३०२,
३०७, ५०६ भा०द०सं०
थाना–नवाबाद, जिला झाँसी।

दिनांक–०८.१०.२०२४

१– पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता एवं बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता जिला कारागार से जेरे हिरासत उपस्थित हैं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को उन्मोचन प्रार्थना पत्र ४५बी एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांकित–०७.१०.२०२४ पर सुना गया।

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र ४५बी अन्तर्गत धारा–२२७ दं०प्र०सं० तथा आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांकित ०७.१०.२०२४ –

२– आवेदक/अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता एवं बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र ४५बी अन्तर्गत धारा–२२७ दं०प्र०सं० इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि– न्यायालय द्वारा धारा–३१९ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित २४.०८.२०२३ के आधार पर प्रार्थीगण को अभियुक्त बनाया गया है। विवेचनाधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य व अभियुक्त न पाते हुए विवेचना से पृथक किया गया एवं उनकी नामजदगी व संलिप्तता कथित घटना में नहीं पायी गयी थी। कथित घटना वादी संचित वर्मा द्वारा दर्ज करवायी गयी, जिसमें आवेदकगण व अन्य ७ लोगों को नामित किया गया एवं उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर घटना कारित किये जाने का आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट व न्यायालय में प्रस्तुत अपनी साक्ष्य में वर्णित किया है। विवेचनाधिकारी द्वारा एस०सी०डी०–३२ दिनांक–०३.०२.२०१९ में अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा व बॉबी गेड़ा के मोबाइल नम्बरों की सी०डी०आर० व लोकेशन के आधार पर उनकी उपस्थिति दिनांक ०४.०७.२०१८, १७.०७.२०१८ व २१.०७.२०१८ को झांसी में नहीं पायी गयी एवं कथित घटना के कथित सह–अभियुक्तगण प्रहलाद सिंह गुर्जर, राजेन्द्र सिंह गुर्जर, कमलेश कुमार यादव, उधम सिंह गुर्जर व भूपेन्द्र सिंह गुर्जर के मोबाइल नम्बरों से वार्ता नहीं होने का विवरण अंकित किया है। विवेचक द्वारा जुटाई गई इस तकनीकी डिजिटल अभिलेख व इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/ अभियुक्तगण के विरुद्ध वादी एवं उनके हितबद्ध लोगों द्वारा न्यायालय में झूंठी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के पिता हरीशरण गेड़ा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर विवेचना करने पर एस०सी०डी०–४०ए दिनांक १६.०२.२०१९ में भोपाल जाकर आई०सी०आई०सी० आई० बैंक शक्ति नगर भोपाल की सी०सी०टी०वी० फुटेज एवं ए०टी०एम० से रुपयों की निकासी एवं शाखा प्रबंधक बृजेन्द्र चौधरी द्वारा दी गयी तकनीकी व इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के प्रमाण पत्र व सी०डी०/डी०वी०डी० दी गई, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त रिंकू उर्फ मनीष कथित दिनांक को भोपाल में आई०सी०आई०सी०आई० व बैंक ऑफ इण्डिया में घटना के समय उपस्थित था। इसी प्रकार अभियुक्त बॉबी उर्फ संदीप गुप्ता के संबंध में ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स साकेत नगर भोपाल दिनांक २१.०७.२०१८ को ०२.०० बजे से ०२.४० बजे के बीच प्राप्त फुटेज के आधार पर एवं सी०सी०टी०वी० फुटेज उपलब्ध कराई गई, जिसके आधार पर की गयी गहन विवेचना व साक्ष्य संकलन से यह स्पष्ट हुआ कि बॉबी उर्फ संदीप गुप्ता भी

कथित दिनांक को भोपाल में उपस्थित था। अभियुक्तगण घटना स्थल से लगभग ३०० किलोमीटर दूर उपस्थित थे। इस संबंध में विवेचनाधिकारी द्वारा उनके व्यवसायिक कार्य स्थल न्यू आस्था मोटर्स व सैटर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जाकर अन्य तमाम साक्षीगण के बयान अभिलिखित किये, जिससे कथित सी०सी०टी०वी० फुटे ज व अभियुक्तगण के भोपाल में उपस्थित होने की पुष्टि हुई है, जिसका सम्पूर्ण विवरण एस०सी०डी० –४०ए दिनांक १६.०२.२०१९ में मय इलैक्ट्रानिक अभिलेख के साथ मौजूद है। विवेचनाधिकारी द्वारा भिन्न–भिन्न तिथियों में कथित रूप से गिरफ्तार दर्शाये गये पर्चा सं०–९ दि० ०१.०८.२०१८ अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर व सी०डी० नं०–१२ दि० १५.०८.२०१८ में कथित गिरफ्तार प्रहलाद गुर्जर एवं थाना टप्पल जिला अलीगढ़ में दिनांक ०८.०८.२०१८ को कथित मुठभेड़ में घायल अभियुक्तगण के अभिलिखित बयानों में जिसका विवरण सी०डी० नं०–१० दिनांक ०९.०८.२०१८ में रिंकू गेड़ा व बॉबी गेड़ा का कथित घटना में शामिल होना अंकित नहीं किया है। घटनास्थल से प्राप्त १२ खोखे ९ एम०एम० व २ खोखे अन्य बोर के विवेचनाधिकारी द्वारा संकलित किये गये, जिससे यह संभावित है कि कथित घटना में केवल दो प्रकार के शस्त्रों का दो व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाना दर्शित है, जिसकी पुष्टि विवेचनाधिकारी द्वारा दिनांक ०६.१०.२०१८ को पर्चा सं०–२६ए में घटनास्थल के पास विनय ट्रेडर्स की दुकान पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरों की फुटेज में दो अज्ञात लोगों द्वारा घटना कारित किया जाना दिखाई दे रहा है, जिसे विवेचनाधिकारी द्वारा संकलित किया गया है एवं विनय ट्रेडर्स के प्रो० विनय मित्तल का बयान सी०डी० नं०–३७ दिनांक २४.१०.२०१८ में अंकित किया है एवं इस तथ्य की पुष्टि दिनांक २१.०७.२०१८ को मृतक जय गोस्वामी की पंचनामा की कार्यवाही व पंचायतनामा की कार्यवाही के समय अंकित राय पंचान से ही होती है। विनय ट्रेडर्स की दुकान से प्राप्त सी०सी०टी०वी० फुटेज की इलैक्ट्रानिक साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कथित घटना में अभियुक्तगण रिंकू व बॉबी शामिल शरीक नहीं थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी के चाचा अजय वर्मा की हत्या को इस प्रकरण के मोटिव के तौर पर वर्णित किया गया है। उक्त घटना मु०अ०सं०–१४६३/०६ दिनांक ०१.११.२००६ को घटित होना दर्शायी गयी है, जिसमें अभियुक्त सोनू गेड़ा व रिंकू गेड़ा को नामजद किया गया था। उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण के दोषमुक्त हो जाने एवं दोषमुक्ति के विरुद्ध संजय वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद में निर्णय को चुनौती दी गयी थी, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण सोनू गेड़ा व रिंकू गेड़ा की दोषमुक्ति की पुष्टि की गयी, इस कारण इस प्रकरण में संचित वर्मा व संजय वर्मा उनके हितबद्ध साक्षी अभियुक्तगण रिंकू व बॉबी के विरुद्ध झूंठी साक्ष्य दे रहे हैं, जबकि तकनीकी व इलैक्ट्रानिक व डिजिटल अभिलेख व विवेचनाधिकारी द्वारा संकलित किए गए व अन्य साक्ष्य में अभियुक्तगण की संलिप्तता इस प्रकरण में नहीं पायी गयी है, जिसकी विवरण एस०सी०डी०–८६ दिनांक ०४.०१.२०२० द्वारा भी की हुई है। बादहू सी०बी०सी०आई०डी० की जांच में उक्त तथ्य की पुष्टि हुई है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

३– वादी मुकदमा की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र के विरुद्ध आपत्ति –४६बी एवं ४७बी इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दिनांक २१.०७.२०१८ को दिन में लगभग ०१.३० बजे वादी के पिता तारीख करके अपने साथियों के साथ कचहरी चौराहा से वापस आ रहे थे, तभी कचहरी चौराहा पर मुल्जिमान सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, भूपेन्द्र उर्फ पुष्पेन्द्र गुर्जर, उधम गुर्जर, शिवम, प्रहलाद, अंगद गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने अपने हाथों में लिए असलहे से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की जिसमें जय गोस्वामी की ११ गोलियां लगने से मृत्यु हो गई तथा वादी के पिता संजय वर्मा व उनके साथी रवि व सुनील गोलियां लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गये। दौरान विवेचना रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता व बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता के विरुद्ध वारण्ट जारी किये गये व धारा –८२ दं०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी और किसी भी जांच अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही को निरस्त नहीं कराया

गया एवं सभी विवेचनाधिकारियों द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये गये एवं किसी भी विवेचना अधिकारी ने उपरोक्त अभियुक्तों के नाम विवेचना से पृथक नहीं किये। इसके उपरांत उपरोक्त अभियुक्तों के पिता के प्रार्थना पत्र पर शासन द्वारा विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० को ट्रांसफर की गई, जिसमें विवेचक जयप्रकाश यादव द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों से मिलकर उनकी फर्जी अलीबी तैयार की गई एवं उपरोक्त अभियुक्तों के नाम विवेचना से पृथक किये गये। मा० सुप्रीम कोर्ट ने विवेचक जयप्रकाश यादव के आचरण पर संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत धारा–१३(२) एवं २१७,२१८ भा०द०सं० के तहत थाना नवाबाद में मु०अ०सं०–२४३/२०२२ दर्ज कराया। वादी प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वयं चश्मदीद साक्षी है तथा उसके साथ अन्य तीन अजय सोनी, गौरव शर्मा प्रतीक वर्मा भी घटना के चश्मदीद साक्षी हैं। इसके अलावा तीन अन्य चुटैल चश्मदीद साक्षी संजय वर्मा, रवि वर्मा व सुनील कुशवाहा है। इन सभी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६१ दं०प्र०सं० मे प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों का समर्थन किया है। जांच अधिकारी द्वारा अभियुक्तों की फर्जी साक्ष्य तैयार की गई, जिसमें अभियुक्त की घटना दिनांक को बैंक व ए०टी०एम० में उपस्थिति दर्शायी गयी एवं उपस्थिति की सी०सी०टी०वी० फुटेज को आधारा बनाया गया, जबकि सी०सी०टी०वी० फुटेज किसके द्वारा या किस तरीके से तैयार किया गया एवं उसकी प्रमाणिकता के संदर्भ में किसी भी गवाहान के बयानों में नहीं आया है, साथ ही सी०सी०टी०वी० फुटेज की विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता के संदर्भ में साक्ष्य अधिनियम की धारा–६५बी की उपधारा–४ का कोई शपथपत्र या सर्टिफिकेट भी संबंधित कर्मचारी या अधिकारी का पत्रावली के रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है, जबकि चुटैल चक्षुदर्शी साक्षियों ने मुल्जिम रिंकू गेड़ा की उपस्थिति घटना दिनांक को घटनास्थल पर अपने बयानों अन्तर्गत धारा –१६१ दं०प्र०सं० में दिये गये कथन में बतायी है। विनय ट्रेडर्स की दुकान घटनास्थल के पास नहीं है, लगभग ३ किलोमीटर दूर है एवं विनय ट्रेडर्स की दुकान से प्राप्त सी०सी०टी०वी० फुटेज घटनास्थल के नहीं है, बल्कि घटनास्थल से लगभग ३ किलोमीटर दूर के हैं। अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता व बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता का लम्बा आपराधिक इतिहास है तथा ये कई गम्भीर मुकदमों में शामिल रहे हैं। अभियुक्तों ने कानूनी प्रक्रिया व प्रावधानोंका दुरुपयोग कर बार –बार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकायें दाखिल की, जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–४८२ दं०प्र०सं० सं०–१६३७९/२०२४ में अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष ३ सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने हेतु निर्देशित किया, तब भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं आया और जानबूझकर परीक्षण में देरी करने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक ०४.१२.२०२३ द्वारा उक्त प्रकरण के विचारण को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिया है। अभियुक्तों ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण सं०–४७९३/२०२३ किया है, जिसमें उन्होंने स्वयं के हस्ताक्षर से शपथपत्र के माध्यम से केस डायरी पर्चा व संबंधित दस्तावेज दाखिल किये। मा० उच्च न्यायालय ने उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण खारिज कर दिया, इसलिए अभियुक्तों ने विशेष अनुमति अपील (दाण्डिक) ३४०५/२०२४ दायर की, जिसमें उन्होंने केस डायरी पर्चा व संबंधित दस्तावेज दाखिल किये। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्तों के पास केस डायरी पर्चा व संबंधित दस्तावेज मौजूद है, भले ही उन्होंने विचारण को विलम्बित करने और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया हो। अभियुक्त बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता एक पंजीकृत अधिवक्ता है, जिसका लम्बा आपराधिक इतिहास है और वह कानूनी कमियों से अच्छी तरह वाकिफ है। उक्त आधारों पर उपरोक्त अभियुक्तगण का उन्मोचन प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए उनके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने की याचना की गयी है। समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–४८२ सं०–१६३७९/२०२४ रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित २२.०५.२०२४ व २९.०५.२०२४ एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव अपील

(दाण्डिक) सं०–३४०५/२०२४ रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित १५.०३.२०२४ तथा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा दाण्डिक वाद सं०–११८३/२०१९ सरकार बनाम सोनू गेड़ा उर्छ सचिन गुप्ता में पारित आदेश दिनांकित ०६.११.२०२० की छायाप्रतियां तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Criminal Appeal No. 1294 of 2023 [@ SLP (Crl) No. 4394/2021] Bohatie Devi (Dead) Through LR Vs. The State of Uttar Pradesh & Ors. प्रस्तुत की गयी है।

४– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि न्यायालय द्वारा मुख्य अभियोग सत्र परीक्षण सं० –२२७/२०१८ मे अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–३१९ दं०प्र०सं० पर पारित आदेश दिनांकित २४.०८.२०२३ के माध्यम से अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता एवं बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता को उक्त अपराध सं० –३४४/२०१८ में अन्तर्गत धारा – १४७,१४८,१४९,३०२,३०७, ५०६ भा०द०सं० के विचारण हेतु तलब किया गया है। आदेश दिनांकित १८.१०.२०२३ के द्वारा उक्त अभियुक्तगण की पत्रावली मुख्य सत्र परीक्षण सं० – २२७/२०१८ से पृथक की गयी है। प्रश्नगत घटना में अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता एवं बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता की संलिप्तता के पर्याप्त आधार होने के कारण उनके विरुद्ध धारा – १४७,१४८,१४९,३०२, ३०७,५०६ भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अतः अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोपित किया जाये।

५– आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

६– प्रश्नगत आपराधिक घटना के सम्बन्ध में प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/ अभियुक्तगण व अन्य ७ अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–१४७,१४८,१४९,३०२,३०७,५०६ भा०द०सं० में पंजीकृत हुआ है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा संचित वर्मा व उसके पिता संजय वर्मा दिनांक–२१.०७.२०१८ को समय करीब ११ बजे कचहरी में तारीख पर गये थे। वादी के पिता अपने सुरक्षाकर्मी जय गोस्वामी व सुनील कुशवाहा के साथ समय लगभग ०१.३० बजे तारीख करके अपनी गाड़ी पजेरो स्पोर्टस UP–93–AN–6301 से निकले, जिसे रवि वर्मा चला रहा था तथा पीछे से वादी मुकदमा अपनी मोटरसाइकिल से जिसे अजय सोनी एक्टिवा काले कलर की चला रहा था, जैसे ही वादी के पिता की गाड़ी चौराहे से मुड़कर बस स्टैण्ड की तरफ आगे चली, तो वहां स्थित मंदिर से पहले प्रतीक्षालय के पास खड़े ट्रक व लोडर की आड़ में से अचानक सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बॉबी गेड़ा, अंगद गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, उधम गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर, शिवम गुर्जर, पुष्पेन्द्र गुर्जर एवं दो–तीन अज्ञात व्यक्ति अपने हाथों में कट्टा पिस्टल लेकर आये और जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी व चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। ड्राइवर को गोली लगते ही गाड़ी खड़े हुए लोडर व ट्रक से टकरा गयी और उक्त फायरिंग से वादी के पिता संजय वर्मा व गाड़ी में बैठे हुए सभी लोगों को गम्भीर एवं प्राणघातक चोटें आई। हमलावर अपनी मोटरसाइकिलों से हवाई फायरिंग करते हुए यह कहते हुए कि किसी ने गवाही देने की हिम्मत की तो जान से मार देंगे और बस स्टैण्ड की तरफ भाग गये। घायलों को तुरन्त मेडिकल कालेज झांसी लेकर आये, जहां भर्ती करते समय डॉक्टर ने जय गोस्वामी को मृत घोषित कर दिया। दौरान विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता एवं बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता की नामजदगी गलत पाने का उल्लेख करते हुये विवेचना से नाम पृथक करते हुये शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तदोपरान्त मुख्य सत्र परीक्षण सं०–२२७/२०१८ में दौरान साक्ष्य अभियोजन की ओर से धारा–३१९ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांकित २४.०८.२०२३ के माध्यम से आवेदक/अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता एवं बॉबी गेड़ा उर्फ

संदीप गुप्ता को उक्त प्रकरण में धारा –१४७, १४८, १४९, ३०२, ३०७, ५०६ भा०द०सं० के विचारण हेतु तलब किया गया है।

७– पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक जय गोस्वामी की मृत्यु Antimortam Gunshot injury के कारण Shock and hemorrhage से होना अंकित है तथा उसके शरीर पर Gunshot injury की ११ चोटें पाये जाने व उसके शरीर से metallic pallet बरामद होना अंकित है। चिकित्सीय आख्या के अनुसार मजरूबगण संजय वर्मा, रवि वर्मा व सुनील कुशवाहा को आई चोटें फायर आर्म से आना व प्राणघातक होना अंकित किया गया है।

८– विधि व्यवस्था **तमिलनाडु राज्य बनाम सुरेश राजन एवं अन्य २०१४ (८४) ए०सी०सी० ६५६** के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि उन्मोचन प्रार्थनापत्र के निस्तारण के प्रकरण में न्यायालय को इस उपधारणा के साथ अग्रसर होना चाहिए कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री सत्य है। उन सामग्रियों एवं दस्तावेजों का जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, इस दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या उनके उदभूत होने वाले तथ्यों से अभ्यारोपित आरोप के तथ्य उदघाटित होते हैं, परन्तु इसके लिए उन सामग्रियों अथवा दस्तावेजों की गहनता से परीक्षण आवश्यक नहीं है, वरन उनसे प्रथम दृष्टया अपराध का प्रकटीकरण ही पर्याप्त है। विधि इस प्रक्रम पर लघु विचारण की अनुमति नहीं देती है। इसी क्रम में यह भी सुस्थापित विधि है कि संज्ञान अपराध का किया जाता है, न कि अपराधी का। अतः आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर कोई व्यक्तिगत अभियुक्त स्वयं के उन्मोचन की अपेक्षा कर सकेगा, यदि वह दर्शित कर सकता है या कर सकती है कि सामग्री अत्यान्तिक रूप से उस विशिष्ट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए अपर्याप्त है। इस प्रकार आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर ही दोष सिद्ध के प्रयोजन से सामग्री की पर्याप्तता की अपेक्षा नहीं की जाती है और उन्मोचन का अनुरोध केवल तभी अनुज्ञान किया जाता है यदि न्यायालय यह पाता है कि सामग्री विचारण के प्रयोजन से पूर्णतया अपर्याप्त है। विधि की यह भी सुस्थापित प्रत्यास्थापना है कि जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध यहां तक कि ठोस संदेह उत्पन्न करने वाली सामग्री भी हो, तो न्यायालय उन्मोचन के अनुरोध को नामंजूर करने और विधि के अनुसार, संपूर्ण साक्ष्य को अभिलेख पर लाने के अभियोजन को अवसर प्रदान करने में न्यायोचित होगा, जिससे कि दोनों ही पक्षों के मामले पर विचारण की समाप्ति पर समुचित रूप से विचार किया जा सकेगा।

९– जहां तक अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता एवं बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि कथित घटना दिनांक को घटनास्थल पर उपस्थित न रहकर घटना स्थल से लगभग ३०० किलोमीटर दूर भोपाल (म०प्र०) में उपस्थित थे। इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर में अभियुक्तगण सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बॉबी गेड़ा, अंगद गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, उधम गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर, शिवम गुर्जर, पुष्पेन्द्र गुर्जर एवं दो–तीन अज्ञात व्यक्ति अपने हाथों में कट्टा पिस्टल लेकर गाड़ी में बैठे उसके पिता व उसके साथियों पर जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी व चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई, ड्राइवर को गोली लगते ही गाड़ी खड़े हुए लोडर व ट्रक से टकरा गयी और उक्त फायरिंग से वादी के पिता संजय वर्मा व गाड़ी में बैठे हुए सभी लोगों को गम्भीर एवं प्राणघातक चोटें आई तथा सुरक्षाकर्मी जय गोस्वामी की मृत्यु हो जाना अंकित किया गया है। उक्त घटना के चक्षुदर्शी एवं चुटैल चक्षुदर्शी साक्षीगण ने धारा –१६१ द.प्र.सं. के अपने बयानों मे अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता एवं बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता की घटनास्थल पर उपस्थिति एवं घटना कारित करने में संलिप्तता का स्पष्ट कथन किया है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्तगण की कथित घटना के समय मौके पर उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष उभयपक्षों के साक्ष्योपरान्त ही दिया जाना संभव है। आरोप विरचन के स्तर पर अभियोजन साक्ष्य की बारीकी से समीक्षा करना अपेक्षित नहीं है। उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता एवं बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना कारित करने का

तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।उन्मोचन प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्य एवं दौरान बहस दिये गये तर्क साक्ष्य की विषयवस्तु हैं, जिनके सम्बन्ध में निष्कर्ष उभयपक्ष के साक्ष्योपरांत ही दिया जाना सम्भव है। इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता एवं बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता के विरुद्ध धारा–१४७,१४८,३०२/१४९, ३०७/ १४९, ५०६ भा०द०सं० का प्रथम दृष्टया अपराध गठित होता है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/ अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र ४५बी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता एवं बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ताकी ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र ४५बी **निरस्त** किया जाता है। तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक–०९.१०.२०२४ को पेश हो।

दिनांक–०८.१०.२०२४

(पी०एन० मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।